

हुकम या कार्यवाही मय इनिथिलस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुकम
हुकम की तारीख में
जारी हुए

तारीख
हुकम

5/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
विपक्षी संख्या 1 व 2 बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं
आए वार वार श्रावणों लगाई गई छिट भीकोई
उपस्थित नहीं आए न ही इसकी कोर से
किशोने उपस्थित होगी। अतः इनके विरुद्ध
एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है।
पत्रावली वाले एक पक्षीय बहस में दिनांक
18.3.2025 को पेश हो

05/03/25

12/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील
प्रार्थी की एक पक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात मौज्जा
बड़वाई के खातासं 70 में वर्णित क्षत्राती नम्बर
483 खम्बा 0.4860 है। भूमि के सम्बन्ध में सुर्वा में
दिनांक 31.1.2025 को प्रसारित अस्थायी निषेधाज्ञा
के स्वयंसेवक आदेश को मूल वाद के निस्तारण के
तक कन्फर्म किया जाता है। बिनाय खुले न्यायलय
में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार दोका
नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला



जेतामें
T.S
कन्य

गार्ग पत्र
श्रीव्य द्वारा
कत प्रप

श्री न्यायालय
डूंगला
श्री न्यायालय
ते किशनकरेशी
मनारेया ब्राह्मण आ
जिला चित्तौडगढ (र

- 1. श्री मदनलाल पित
निवासी बड़वाई त
2. श्री हरीश पिता
निवासी बड़वाई
3. श्री राज्य सरका

महोदयजी,

- 1. यह फि
एक्ट
तथ्य
होग
सम
पृथ
2. य
ज
ज

